4

न्यायालय समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म. प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

558
16.9.14

R-3496-III/14

1- जगन्नाथ तनय शिवगुलाम — मृतक

2- मुन्नीलाल तनय धौकल

3- शंकर पिता स्व. श्री मोहन

4- जानकी पिता स्व. श्री मोहन

5- मुस. सुमित्री पति राम सनेही

6- ललताप्रसाद

7- रंगमलाल पिता रामचरण

8- भागीरथी पिता विश्वनाथ

9- शुभा

10- रामायण तनय रामचरण

सभी निवासी ग्राम मिसरगवां तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.

——— आवेदकगण

श्री शारदाप्रसाद मिश्रा एड. के द्वारा आज दिनांक 16.09.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम.

1- रामलल्लू तनय स्व. श्री रामसुख ब्रा. निवासी ग्राम मिसरगवां तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.

3221
द्वारा आज
... 9-14 को ... म. प्र.

——— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. राजस्व प्रकरण क्र. 577ए/06-07 आदेश दिनांक 8.7.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 ई.

न्यायालय समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म. प्र.)

COURT FEE
20 Rs. भारत INDIA २० रु.
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

558
16.9.14

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक ... के पालन में ...
[illegible]

जगन्नाथ तनय शिवगुलाम (मृतक) फौत
1 (अ) राजकुमार सिंह तनय स्व. जगन्नाथ सिंह
(ब) श्रीमती सौलीया पत्नी स्व. जगन्नाथ बाई
दोनो निवासी ग्राम मिसिरगवा तह. हनुमना रीवा (म.प्र.)

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

5 – मुस. सुमित्री पति राम सनेही

6– ललताप्रसाद

7– संगमलाल " : पिता रामशरण

8– भागीरथी पिता ~~[illegible]~~ विश्वनाथ

9– सुभाष

10– शिवनारायण तनय रामशरण

आ(दो)प्रसाद द्विवेदी
16.9.14

सभी निवासी ग्राम मिसिरगवा तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.

——— आवेदकगण

बनाम.

1– रामलल्लू तनय स्व. श्री रामसुन्दर बा. निवासी ग्राम मिसिरगवा तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.

3221 द्वारा आज
29.9.14 को

2– शासन म. प्र.

——— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. राजस्व प्रकरण क्रं. 577ए /06–07 आदेश दिनांक 8.7.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 ई.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी— 3496—तीन / 14 जिला —रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/8/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 577/अपील/06-07 में पारित आदेश दिनांक 08-07-14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि भूमि का नामातंरण अनावेदक रामलल्लू के पिता रामसुख के नाम पंजीक्रमांक 45 आदेश दिनांक 04-09-75 को हुआ। उक्त नामातंरण को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-12-79 को अपने आदेश से निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुए प्रकरण में उभय पक्ष को पक्षकार बना कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करने के निर्देश दिए। अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पुन: प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में पूर्ण परीक्षण कर विधिवत:	

आदेश पारित किया है, जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08-07-14 स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का प्रकरण क्रमांक 577/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 08-07-14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य